न्यायालय अति0जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–रामकिशोर मीना

प्रार्थना पत्र – 36/25 तारीख रज्जू–16/01/25

1 तहसीलदार गंगापुर सिटी । ––– प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह फोजी नं0 1509167 लोको फौरमैन पुत्र नामालूम जाति राजपूत गंगापुर सिटी। – अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 05/08/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 नियम 14 (4) के अर्न्तगत प्रस्तुत कर अप्रार्थी को ग्राम अरनिया के ख0नं0 3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्बा किस्म बारानी दोयम, खं0नं0 53 रकबा 6 बीघा 2 बिस्बा किस्म बारानी दोयम भूमि आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी का पूर्ण पता नहीं उपलब्ध करवाने के कारण प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि जमाबन्दी संवत् 2028–31 ग्राम अरनिया में ख0नं0 3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्बा किस्म बारानी दोयम , खं0नं0 53 रकबा 6 बीघा 2 बिस्बा किस्म बारानी दोयम सिवायचक लागानी दर्ज है। ग्राम अरनिया में ख0नं0 3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्बा किस्म बारानी दोयम , खं0नं0 53 रकबा 6 बीघा 2 बिस्बा किस्म बारानी दोयम अप्रार्थी को आंवटन हुआ । जिसका अमल जरिये नामान्तकरण सं0 83 निर्णय दिनांक 16.05.1975 से गैर खातेदार दर्ज हुआ। मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध सं0 2039 से गत खसरा नम्बर 3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्बा से हाल खं0नं0 4 रकबा 1.50 है0 व खं0नं0 53 रकबा 6 बीघा 2 बिस्बा से हाल खसरा नम्बर 590 रकबा 1.41 है0 बने। भूप्रबन्ध खतौनी सम्बत 2039 के खाता सं0 179 पर अंकित खसरा नम्बर 4 रकबा 1.50 है0 व 590 रकवा 1.41 है0 किस्म बारानी दोयम अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज है। ग्राम अरनिया की वर्तमान जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 के खाता सं0 272 में अंकित खसरा नम्बर 4 रकवा 1.50है0 व खं0नं0 590 रकवा 1.41 है0 पर अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:30 IST
Reason: SelfAttested

है। मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2045 तक सम्पूर्ण भूमि तथा खं0नं0 4 संवत् 2053,2060,2063 व 2065 से 2077 तक तथा खं0नं0 590 संवत् 2046 से 2048 ,2050, 2053 से 2057 ,2059,2066 से 2077 तक पड़त रहे है। खं0नं0 4 में संवत् 2046 से 2052, 2054 से 2061,2064,2078,2079 में फसल दर्ज है तथा खं0नं0 590 में संवत् 2049, 2051 से 2054,2058,2060 से 2065,2078,2079 में फसल दर्ज है। अप्रार्थी (आवंटी) द्वारा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो को उल्लंघन किया है, साथ ही प्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी पक्षं की बहस सुनने, उस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पक्ष के तथ्यों के आधार पर उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थी को आवंटित हुई थी तथा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2045 तक सम्पूर्ण भूमि तथा खं0नं0 4 संवत् 2053,2060,2063 व 2065 से 2077 तक तथा खं0नं0 590 संवत् 2046 से 2048 ,2050, 2053 से 2057 ,2059,2066 से 2077 तक पड़त रहे है। जो आवंटन शर्तो का उल्लधंन है। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा जिस आवंटन को निरस्त करने हेतु न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति/छायाप्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है। ना ही अप्रार्थी का पूर्ण नाम पता अंकित किया है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह संबंधित आवंटन आदेश मय आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति तथा आंवटी का पूर्ण स्पष्ट नाम व पता अंकित सहित पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:30 IST
Reason: SelfAttested